30.6.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय में दिनांक 18.12.2012 को प्रस्तुत किया गया है प्रकरण दायर होने के आदिनांक तक प्रस्तुत भूमि को लेकर विवाद होना साबित नहीं है। अतः प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह गया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला मुकदमा होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद को कायम रहे।

उपखण्ड